Saathi

Date 23/05/2020 Page 1 to 6

B.A., PART-IST
POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH-11 (JUSTICE)
LECTURE NO.-35 (THIRTY FIVE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था -

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में आनेवाली बाधाएँ दूर करने हेतु संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं -

(1) राजनीतिक न्याय हेतु -

(i) अनुच्छेद 19 (1)(क) -

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, 1985 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। मतदाता का उम्मीदवार से सम्बंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1)(क) में ही अंतर्निहित माना गया है।

(ii) अनु० 19 (1)(ख) -

शांतिपूर्ण एवं बिना किसी हथियार का सम्मेलन करने का अधिकार।

(iii) अनुच्छेद 19 (1)(ग) -

संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया।

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

(iv) अनु० 19 (1)(घ):-

भारत के किसी भी भाग में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अपवाद स्वरूप कुछ आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर देश में कहीं भी संचरण का अधिकार दिया गया है।

(v) अनु० 19 (1) (ङ):-

भारत के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। किसी भी राज्य के पंजीकृत मतदाता बनने हेतु वहाँ का वासी होना चाहिए तब ही कोई नागरिक वहाँ के विधान मंडल के चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है।

(vi) अनुच्छेद 325:-

किसी भी नागरिक को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता अथवा इन्हीं आधारों पर वह व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है।

(vii) अनुच्छेद 326:-

इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अर्थात् 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मत का अधिकार। पहले मतदान के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च, 1989 से प्रभावी है।

उपर्युक्त वर्णित अनुच्छेदों के अलावे और भी अनुच्छेदों में निर्धारित अर्हताएँ पूरी करने वाले नागरिकों को विधान मंडलों, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पंचायत और नगर निगम, आदि के चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार देकर राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

(2) सामाजिक न्याय हेतु —

(i) अनुच्छेद 14 :-

भारत के सभी नागरिकों को कानून या विधि के समक्ष समता एवं कानूनों के समान सुरक्षा या संरक्षण प्रदान की गई है।

'विधि के समक्ष समता' का विचार ब्रिटिश मूल से प्रेरित है जबकि विधियों का समान संरक्षण' अमेरीकी संविधान से लिया गया है।

(ii) अनुच्छेद 15 :—

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) अनु० 16 :—

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई अर्थात राज्य के अधीन पदों पर नियोजन या नियुक्ति में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर।

(iv) अनु० 17 :—

छुआछूत का अन्त।

(v) अनु० 21 :-

राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा किया गया।

(vi) अनुच्छेद 23 —

बेगार और बलात श्रम पर रोक लगाई गई है।

(vii) अनुच्छेद 24 —

14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में लगाने पर रोक लगाई गई है। Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

(viii) अनु० 41 —

नागरिकों का कुछ अवस्थाओं विशेषतया बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि में काम, शिक्षा, लोकसहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया है।

(ix) अनु० 42 —

राज्य की जिम्मेदारी है कि काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं को बनाए रखने का प्रयास करेगा।

(x) अनु० 43 —

श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध राज्य करेगा।

(xi) अनुच्छेद 44 —

नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता की व्यवस्था।

(xii) अनु० 45 —

6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।

(xiii) अनु० 46 —

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बंधी हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था।

(xiv) अनु० 47 —

लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना।

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

वर्णित अनुच्छेदों के माध्यम से सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इन अनुच्छेदों में 14, 15, 16, 17, 21, 23 और अनु० 24 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं एवं शेष राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बंधित है।

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं क्योंकि ये वर्षों से पीड़ित, शोषित एवं वंचित होते रहे हैं इसीलिए इन्हें समाज के मुख्यधारा के साथ जोड़ने हेतु इसतरह के प्रावधान किए गए जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि न्याय को पूर्णता प्रदान करते हैं।

(3) आर्थिक न्याय हेतु —

(i) अनुच्छेद 39 —

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व।

(ग) उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण।

(घ) स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना।

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर किसी नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

(च) बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बच्चों का अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना।

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

(ii) अनुच्छेद 41 —

बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

वर्णित अनुच्छेदों के द्वारा आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं।

× —— × —— × —— × —— ×

संभावित प्रश्न :—

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु किए गए उपायों की विवेचना कीजिए।

Scanned with CamScanner